आर. एन. नंजुंडप्पा

बनाम

टी. थिमिया और ए. एन. आर.

8 दिसंबर, 1971

[ए. एन. राय और डी. जी. पालेकर, जे. जे.]

सिविल सेवा- राज्य नियम जो पदोन्नति, चयन या प्रतियोगी के जरिये भर्ती के तरीके प्रदत्त करते है, नियमों के अभाव में तृतीय श्रेणी के व्यक्ति का प्रथम श्रेणी में चयन वैधता या स्थानीय उम्मीदवार की नियुक्ति के रूप में माना जा सकता है।

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद, 14,16,162 और 309-नियुक्ति अनुच्छेद 14 16 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 162 व 309 का दायरा

1957 में, प्रत्यर्थी, जो एक सहायक भूविज्ञानी के रूप में काम कर रहा था तृतीय श्रेणी की सेवा में, उन्हें राज्य में स्कूल ऑफ माइंस के उप-प्राचार्य के रूप में प्रतिनियुक्ति पर 15 फरवरी, 1958 से भेजा गया था वह भी थे प्रधानाचार्य के कर्तव्यों को भी पूरा कर रहे थे। सितंबर, 1958 में राज्य सरकार ने उन्हें कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया, लेकिन 3 अप्रैल 1959 को आदेश में संशोधन किया और उन्हें अस्थायी कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में15 फरवरी, 1958 से नियुक्त किया। 9 जनवरी, 1967 को

मैसूर शिक्षा विभाग सेवा नियम प्रकाशित किए गए थे जिनके द्वारा नियुक्तियां की गई थीं। 15 फरवरी, 1958 से प्रभावी प्रत्यर्थी का नियमन किया ।अपीलार्थी, जो एक सरकारी पॉली तकनीशियन का प्राचार्य था, और द्वितीय श्रेणी की सेवा में था। प्रतिवाद किया कि प्रतिवादी का नियुक्ति मैसूर राज्य सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1957 और मैसूर शिक्षा विभाग सेवा (तकनीकी शिक्षा विभाग भर्ती) संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन था।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी एक स्थानीय उम्मीदवार था मैसूर सरकार वरिष्ठता नियम, 1957 के अर्थ में उससे पहले उनकी नियुक्ति को किसी भी तारीख से नियमित किया जा सकता था।

इस न्यायालय में अपील की अनुमति देते हुए,

अभीनिर्धारित: (1) मैसूर राज्य सिविल सेवा (सामान्य) भर्ती) नियम, 1957, का नियम जो 1 फरवरी, 1958 से लागू थे। कॉम द्वारा राज्य सिविल सेवा में प्रतिस्पर्धा परीक्षा, या चयन द्वारा, या पदोन्नति द्वारा। भर्ती के तरीके की बात करता है उत्तरदाता की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नहीं की गई थी और न ही यह एक मामला था वर्ष 1958 या किसी भी समय सीधी भर्ती में अगर एक प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में पोस्ट के लिए विज्ञापन दिए गए होंगे और उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया गया होगा। [8081 ई-एच]

(2) प्रत्यर्थी की नियुक्ति पदोन्नति द्वारा नहीं कहा जा सका क्योंकि नियम 4, 1957 के नियमों में,योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर या वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के बीच यह होना चाहिए इसके अलावा, राज्य ने तर्क दिया कि यह पदोन्नति का मामला नहीं था, बल्कि चयन का मामला था इस आधार पर कि प्रतिवादी एकमात्र व्यक्ति था जो पद के लिए उपयुक्त था। [806 ई-जी;811 सी-डी]

(3) यह सच है कि भर्ती के नियम 1964 तक नहीं बनाए गए थे। फिर भी भर्ती के तीन तरीके विशिष्ट हैं। अगर यह एक मामला है तो चयन लोक सेवा आयोग सायन या सलाहकार या चयन समिति, या नियुक्ति प्राधिकारी से परामर्श करने के बाद और आवेदन आमंत्रित करने के बाद किया जाना चाहिए था। कहने के लिए कि अपीलार्थी एकमात्र योग्य उम्मीदवार था, जिसे दूसरों के आवेदन करने के अधिकारों से वंचित करना है।[805 एफ; 808 ई-एच]

(4) 1957 के नियमों के नियम 16 में नियुक्ति और योग्यता से संबंधित नियमों में शिथिलता का प्रावधान है, और शिथिलता का एक उदाहरण तब होता है जब सरकार, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, राज्य की किसी अन्य सेवा से स्थानांतरण द्वारा समकक्ष श्रेणी के पद पर आसीन अधिकारी की नियुक्ति करती है। लेकिन, वर्तमान मामले

में, उत्तरदाता उस श्रेणी से संबंधित नहीं था जिसे नियम 8 (1) के अर्थ के भीतर समतुल्य कहा जा सके। खान विद्यालय के प्राचार्य के लिए नियम के अंतर्गत यह स्थानांतरण का मामला नहीं हो सकता था। वास्तव में, न तो नियम उपलब्ध था और न ही वर्तमान मामले पर कार्रवाई की गई थी [806 जी-एच; 807 ए-सी]

(5) राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियुक्ति को नियमित करने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद केवल नियुक्ति के नियमों और सेवा की सामान्य शर्तों की बात करता है। यह कहते हुए नियुक्ति का विनियमन कि "किसी भी नियम के बावजूद नियुक्ति को नियमित किया जाता है" पदोन्नति, चयन या प्रतियोगी परीक्षा को भर्ती के तरीकों के रूप में निर्धारित करने वाले मौजूदा नियमों की जड़ पर हमला करता है इसलिए नियमितीकरण अनुच्छेद का उल्लंघन था। [808 ए-डी]

चंपकलाल चिमनलाल शाह बनाम। भारत संघ, [1964] 5 एस. सी. आर. 190 और मैसूर राज्य बनाम। पद्मनाभचार्य, [1966] 1 एस. सी. आर. 994, संदर्भ में।

(6) (क) यह तर्क कि अनुच्छेद 309 नियम के तहत नियमितीकरण के लिए स्वयं भर्ती का एक रूप होगा जिसे अनुच्छेद 162 की शक्ति के

संदर्भ में पढ़ा जाएगा। क्योंकि नियमितकरण नियुक्ति का एक रूप नहीं है [809 जी]

(ख) वर्तमान मामले में, किसी भी नियम के बावजूद, 15 फरवरी, 1958 से प्रभावी नियमितीकरण को अनुच्छेद 162. के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। अनुच्छेद 162 और 309 विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, और जब सरकार ने अनुच्छेद 309 के तहत कार्य किया तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत भी काम किया था[809 जी-एच; 810 ए-बी]

(ग) यदि नियुक्ति स्वयं नियमों के उल्लंघन में या संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में थी, तो अवैधता का नियमन नहीं किया जा सकता है। किसी ऐसे अधिनियम का अनुसमर्थन या नियमितीकरण संभव है जो प्राधिकरण की शक्ति और प्रांत के भीतर है और प्रक्रिया का कुछ गैर-अनुपालन हुआ है जो प्रक्रिया के मूल तक नहीं जाता है। अनुच्छेद 162. न तो नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है और न ही भर्ती या सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। व्यक्ति या एक पद के लिए एक नियम हो सकता है, लेकिन नियम भर्ती और सेवा की शर्तों के लिए होते हैं, न कि अवैध नियुक्तियों या पदोन्नति या स्थानांतरण को मान्य करने के उद्देश्य से। [810 बी-डी; 814 डीजे

बी. एन. नागराजन और अन्य। वी. मैसूर राज्य और अन्य। [1966] 3 इसके बाद एस. सी. आर. 682 आया।

(7) (क) उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि प्रत्यर्थी 1957 के नियमों के अर्थ के भीतर एक स्थानीय उम्मीदवार था। एक स्थानीय उम्मीदवार एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी है जिसे उस सेवा में भर्ती के नियमों के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया जाता है। लेकिन दो सरकारी कर्मचारियों को एक ही समय में एक ही स्थायी पद पर अस्थायी उपाय के अलावा पर्याप्त रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी एक स्थायी सरकारी कर्मचारी था और ग्रहणाधिकार के साथ प्रतिनियुक्ति पर था। सहायक व्याख्याता भूविज्ञान के रूप में अपने पद पर जब उन्हें प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें मूल रूप से प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था। यदि प्रत्यर्थी को के रूप में नियुक्त किया गया था। प्राचार्य पद के लिए एक अस्थायी उपाय, इसलिए यह एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में नहीं होगा, बल्कि एक अस्थायी उपाय के रूप में दूसरे पद पर नियुक्त एक सरकारी कर्मचारी के रूप में होगा, [810 डी-ई; 813 ए-सी]

(ख) इसके अलावा कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्ति के आदेश सितंबर 1958 और अप्रैल 1959 में संशोधित आदेश में कहा गया है कि

राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन द्वारा पद भरने के लिए प्रस्ताव को अग्रेषित किया जाना चाहिए। वे दर्शाते हैं कि प्रत्यर्थी को स्थानीय उम्मीदवार के रूप में नहीं माना गया था, बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से उचित नियुक्ति होने तक एक अस्थायी उपाय के रू आवश्यक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को प में नियुक्त किया गया था [811 जी-एच]

(8) जब राज्य लोक सेवा आयोग नियमित करने के लिए सहमत हुआ इसका यह अर्थ नहीं था कि आयोग प्रत्यर्थी की नियुक्ति को नियमित करने के लिए सहमत हुआ, बल्कि केवल प्राचार्य के पद पर नियुक्ति को नियमित करने के लिए सहमत हुआ। [813 एफ-जी]

(9) उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में गलत था कि की नियुक्ति प्रत्यर्थी ने अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं किया। 1964 के नियमों के तहत इस पद के लिए भर्ती अनुभागों के प्रमुखों के संवर्ग से पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा की जाती थी और पॉलिटेक्निक के प्राचार्य और अनुभागों के प्रमुख एक सामान्य संवर्ग से संबंधित थे और नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए था। जैसा कि अपीलार्थी और अन्य नियुक्ति के संबंध में समान अवसर और व्यवहार नहीं दिया गया, भेदभाव था, [814 एफ-एच; 815 ए-एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2357/1968.

मैसूर उच्च न्यायालय के दिनांकित 12 सितंबर, 1968 निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील रिट याचिका संख्या 473/1967 में

अपीलार्थी की ओर से ए. के. सेन, एस. एस. जवाली और एम. वीरप्पा। ए. आर. सोमनाथ अय्यर, ओ. पी. मल्होत्रा, जे. पी. दादाचंजी औरसी. एस. श्रीनिवास राव, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

बेरा रेड्डी और आर. एच. ढेबर, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

न्यायालय का निर्णय निम्न द्वारा दिया गया था

जस्टस रे यह न्यायाधीश की ओर से विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है मैसूर उच्च न्यायालय का दिनांक 12 सितंबर, 1968 याचिकाओं का एक समूह एक सामान्य निर्णय से गायब है। अपीलार्थी ने मैसूर शिक्षा विभाग सेवा नियमों को चुनौती दी जो दिनांक 9 फरवरी 1967 को अधिसूचना सं. ईडी। 91 डी. जी. ओ. 58, से जारी किए गए।

अपीलार्थी द्वारा अभिशंसन किए गए नियम इस प्रकार हैंः

"परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और सभी इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियाँ, राज्यपाल मैसूर सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-

1. शीर्षकः इन नियमों को मैसूर कहा जा सकता है। शिक्षा विभाग सेवाएँ (तकनीकी शिक्षा) विभाग (विशेष भर्ती) नियम, 1967।

2. नियुक्ति के नियमितीकरण से संबंधित प्रावधान प्राचार्य, स्कूल ऑफ माइंस, उरागाम, कोलार गोल्ड फील्ड्स।

परंतुक के तहत बनाए गए किसी भी नियम के बावजूद भारत के संविधान का अनुच्छेद 309, या कोई अन किसी भी समय लागू नियम या आदेश डॉ टी थिमिया, बी. एससी. (ऑनर्स।) पीएचडी. (लंदन।) एफ. जी. एस. को नियमित रूप से होखान, उरागाम, कोलार गोल्ड फील्ड्स प्राचार्य, विद्यालय के रूप में दिनांक 15-02-1958 से नियुक्त किया गया।

आदेश द्वारा और के नाम पर

मैसूर के राज्यपाल

एस. डी./- एस. एन. श्रीनाथ

सचिव के अधीन, सरकारी शिक्षा विभाग "।

अपीलार्थी को टेक्नीकल के 'अतिरिक्त प्रभारी' के रूप में तैनात किया गया था इसी तरह मैसूर उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सेवा नियमों को चुनौती दी। उन मामलों में याचिकाकर्ता मैसूर में पॉलिटेक्निक; मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुभाग के प्रमुख, सी. पी. सी. पॉलिटेक्निक, मैसूर;

पॉलिटेकनिक, हासन के प्राचार्य; और बी. डी. टी. के प्राचार्य, इंजीनियरिंग कॉलेज, देवांगेरे के प्रमुख थे।

अपीलार्थी भौतिकी में व्याख्याता के रूप में 1941 में मैसूर सरकार का विश्वविद्यालय विभाग में शामिल हुए 1946 में अपीलार्थी ने मद्रास विश्वविद्यालय में रसायन अभियंता में स्नातकोत्तर की डिग्री ली। अपीलार्थी को तब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बैंगलोर में केमिकल इंजीनियरिंग में व्याख्याता के रूप में तैनात किया गया था। 1949 में अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया और अधीक्षक (प्राचार्य), सरकारी पॉलिटेक्निक के रूप में तैनात किया गया। देवांगेरे रुपये की श्रेणी में। 200-20-300 . 1954 में अपील लैंट को हासन में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य के रूप में रुपये के ग्रेड में तैनात किया गया था।. अपीलार्थी की पुष्टि वर्ष 1957 में 200-20-300 रुपये के ग्रेड में की गई थी। 200-20-300 12 दिसंबर, 1949 से प्रभावी द्वितीय श्रेणी में। 1 जनवरी, 1957 को अपीलार्थी के वेतनमान 250-600 में संशोधन किया गया था।

प्रत्यर्थी तिम्मैया स्नातक हुआ और नियुक्त किया गया लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 1951 में मैसूर सरकार में भूविज्ञान विभाग में एक सहायक भूविज्ञानी के रूप में रु। 125-10-175 के ग्रेड पे पर नियुक्त किया गया।

प्रत्यर्थी यूनाइटेड किंगडम गया और वापस आ गया 1957 भूविज्ञान में पीएचडी के साथ। जुलाई, 1957 के महीने में तकनीकी शिक्षा विभाग में कोलार गोल्ड फील्ड्स में स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। रेज़ पोंडेंट, जो 1957 में जियो लॉजी विभाग में व्याख्याता थे, को कोलार गोल्ड फील्ड्स में स्कूल ऑफ माइन्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। 15 फरवरी, 1958 को परिषद को प्राचार्य के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया था। 22 जुलाई, 1958 को इसाकसन, जो कोलार गोल्ड फील्ड्स में स्कूल ऑफ माइन्स के प्राचार्य थे, चले गए। 25 सितंबर, 1958 को प्रत्यर्थी को स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यवाहक प्राचार्य 22 जुलाई, 1958 से नियुक्त किया गया था।अस्थायी आधार पर खदानें। 3 जुलाई, 1959 को प्रतिवादी को प्रभावी रूप 15 फरवरी, 1958 से से प्राचार्य नियुक्त किया गया था। वर्ष 1959 में भारत सरकार ने राज्य सरकार को लिखा कि प्रत्यर्थी के पास खदान विद्यालय के प्राचार्य के पद के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशक द्वारा अगस्त 1959 में बताई गई योग्यताए नहीं है। अगस्त 1960 में प्रत्यर्थी की पद्दोन्न्ति उसके मूल भू विज्ञान विभाग में भूवैज्ञानिक के रूप में हो गई थी।

वर्ष 1962 में अपीलार्थी ने इसके अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन किया उत्तरदाता की कार्यवाहक नियुक्ति को चुनौती देता है। दाँत। 1

नवंबर, 1963 को मैसूर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अपीलार्थी के आवेदन को पूर्व-परिपक्व घोषित किया, क्योंकि सरकार विभाग के लिए भर्ती के लिए नियम बनाने जा रहा था।

मई के महीने में, 1964 में भर्ती के नियम बनाए गए थे तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए सरकार द्वारा।

वर्ष 1967 में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाए गए थे। प्रत्यर्थी की नियुक्ति को नियमित करने वाला संविधान प्राचार्य, स्कूल ऑफ माइंस 15 फरवरी, 1958 से प्रभावी।

कोलार गोल्ड फील्ड्स, स्कूल ऑफ माइन्स की स्थापना की गई थी जुलाई, 1957 का महीना। उत्तरदाता को महीने में भेजा गया था अगस्त, 1957 के उपाध्यक्ष के रूप में दो साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर खानों का स्कूल। प्रतिवादी तब सहायक भू विज्ञानी के रूप में काम कर रहा था स्कूल ऑफ माइंस के तत्कालीन प्राचार्य थे इसाकसन। उन्हें भत्ते के आधार पर अंशकालिक नौकरी दी गई थी। 22 जुलाई, 1958 को जब इसाकसन ने छोड़ा।प्रत्यर्थी जो उप-प्रधानाचार्य थे, के कर्तव्यों को निभा15 फरवरी, 1958 से रहे थे। राज्य सरकार 25 सितंबर, 1958 को प्रतिवादी थिम्मिया को नियुक्त किया गया 22 जुलाई, 1958 से ग्रेड में कार्यवाहक प्राचार्य 25 सितंबर, 1958 की अधिसूचना में संशोधन से प्रभावी अस्थायी कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में प्रत्यर्थी प्रतिवादी की नियुक्ति को नियमित करने वाले

विवादित नियम 15 फरवरी, 1958 से लागू हुए। 9 फरवरी, 1967 को अस्तित्व में आया।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी मैसूर सेवा विनियम, 1943, मैसूर राज्य सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1957 के साथ-साथ मैसूर शिक्षा विभाग सेवा (तकनीकी शिक्षा विभाग) (भर्ती) नियम, 1964 द्वारा शासित था। अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी तृतीय श्रेणी की सेवा में था, और इससे पहले, प्रत्यर्थी की नियुक्ति का अभिशंसन नियमित करना उपरोक्त नियमों और विनियमों का उल्लंघन था और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को आहत करता था। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी का तर्क था कि सिविल पद पर नियुक्ति तीन तरीकों से की जा सकती हैः एक पदोन्नति द्वारा; दूसरा प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा; और तीसरा नियमित नियुक्ति द्वारा जो शुरू में अनियमित रूप से की गई थी। उच्च न्यायालय में भी यह तर्क दिया गया था, हालांकि हलफनामे में या याचिका के जवाब में कोई सुझाव नहीं था, कि प्रतिवादी सेवा में एक स्थानीय उम्मीदवार था, और वहाँ इसके अलावा, मैसूर सिविल सेवा नियम, 1957 के नियम 8 (27ए) के तहत नियम प्रतिवादी पर लागू नहीं होंगे और नियमितीकरण वैध था।

इस न्यायालय में एक अतिरिक्त तर्क दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत नियमितीकरण अपने आप में होगा कार्यकारी

सरकार की नियुक्ति की शक्ति के प्रयोग का एक तरीका। कहा जाता है कि नियमितीकरण नियुक्ति पर प्रभाव डालने और स्थायित्व की गुणवत्ता और अनिश्चितता के उन्मूलन का परिणाम है। राज्य के अनुसार ऐसी नियुक्ति भले ही अनुच्छेद 309 के तहत नियमों के रूप में की गई हो, उस पर एक व्यक्ति के लिए किए जाने के आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है, जैसे कि किसी कानून के टुकड़े पर किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए किए जाने के आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी मैसूर सरकार वरिष्ठता नियम, 1957 के नियम 1-ए के अर्थ के भीतर एक स्थानीय कैंडी तिथि थी और इसलिए प्रतिनिधि की नियुक्ति को किसी भी तारीख से नियमित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कई याचिकाकर्ताओं के बीच वरिष्ठता के सवाल पर कोई राय व्यक्त नहीं की। उस आधार पर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किए बिना एक अस्थायी रोजगार और एक अस्थायी कर्मचारी को अर्ध स्थायी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक स्थानीय उम्मीदवार की नियुक्ति को आपराधिक या समान अवसर से इनकार नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब 1958 में प्रतिवादी को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था तो

इस पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं थी और कोई संवर्ग और भर्ती नियम नहीं थे।

17 अगस्त, 1957 को जब प्रतिवादी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था उप-प्राचार्य के रूप में उनके पद को व्याख्याता के रूप में गिना जाता था। आइज़ैकसन ने कब स्कूल ऑफ़ माइन्स छोड़ा और जब उत्तरदाता ने प्रधानाचार्य के रूप में प्रभारी होने के लिए कहा गया था और उसके बाद जब प्रतिवादी सितंबर, 1958 के महीने में नियुक्त किया गया था प्राचार्य के रूप में कार्यवाहक जो से प्रभाव के साथ प्रथम श्रेणी की सेवा थी 15 फरवरी, 1958 से प्रत्यर्थी प्रतिनियुक्ति पर था विदेश सेवा और हलफनामे में कहा गया था कि यह वर्ग था III सेवा जिसमें प्रत्यर्थी संबंधित था और नियुक्तिखान विद्यालय के प्राचार्य के पद के लिए प्रत्यर्थी का अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई थी। से पदोन्नति के लिए राशि तीसरी से पहली कक्षा तक।

मैसूर सिविल सेवा विनियम, 1943 के नियम 57 के तहत एक अधिकारी को ऐसे अस्थायी कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। जिसके प्रदर्शन के लिए कोई स्थायी या गति नहीं है अनिवार्य रूप से स्वीकृत नियुक्ति। प्रतिनियुक्ति हालांकि नियम 57 में सरकार की मंजूरी के बिना छूट नहीं दी गई थी।

यहाँ सवाल यह है कि क्या कोई अधिकारी प्रत्यर्थी की तरह है। जिसे प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, उसे शासित नहीं कहा जा सकता था कोई

भी नियम और एक स्थानीय उम्मीदवार बनें जैसा कि राज्य द्वारा प्रतिवाद किया गया है। फरवरी,1958 के महीने में प्रासंगिक समय पर मैसूर राज्य सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1957 जैसे ही वे नियम 1 फरवरी को लागू हुए, 1958. मैसूर राज्य सिविल सेवा नियम, 1957 परिभाषित किया गया है।' प्रत्यक्ष भर्ती ',' पदोन्नति 'और' चयन '। सीधी भर्ती नियुक्ति प्रोमशन या प्रोमशन के अलावा अन्यथा होगी। स्थानांतरण। पदोन्नति एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होगी। यह आयोग या सलाहकार से परामर्श करने के बाद होगा। या चयन समिति, या नियुक्ति प्राधिकरण। नियम 3 मैसूर राज्य सिविल सेवा नियम, 1957 की बात करता है राज्य सिविल सेवा में भर्ती की विधि कॉम्पे द्वारा होगी शीर्षक परीक्षा या चयन या पदोन्नति द्वारा। द्वारा आंका गया इन नियमों को वर्तमान मामले में नियुक्ति कहा जा सकता है केवल पदोन्नति द्वारा। निर्विवाद रूप से न तो कोई कॉम था न ही कोई चयन और न ही यह प्रत्यक्ष परीक्षा का मामला था। भर्ती। नियम 4 (3) के उपखंड (ए) और (बी) मैसूर राज्य सिविल सेवा नियम, 1957 प्रतिबंधों को निर्धारित करता है। पदोन्नति द्वारा भर्ती के बारे में। प्रतिबंध दो गुना हैं। उपखंड (ए) और (बी)। सबसे पहले, अगर यह किसी चयन पद के लिए है या पदोन्नति या किसी व्यक्ति के चयन द्वारा भरा जाने वाला पद निर्वहन के लिए सभी मामलों में योग्यता और उपयुक्तता का आधार इस पद के कर्तव्य वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए हैं। पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्ति। दूसरा है भर्ती —L736S _ PCI/72 उपखंड (क) में

निर्दिष्ट पद के अलावा किसी अन्य पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति का चयन करके पदोन्नति, जो पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों में से पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता के अधीन वरिष्ठता है।

1958 में स्कूल ऑफ माइंस के प्राचार्य का पद एक स्थायी पद था। प्रथानाचार्य का उस समय वेतन 500-800 रूपये था। प्रत्यर्थी को फरवरी 1958 में 165 रूपये व इसके अलावा 75 रूपये मिल रहे थे और उसका ग्रेड पे 125-175 था। प्रत्यर्थी का भू विज्ञान के व्याख्यता के पद पर नियुक्त किया गया था जाह ंसे उसे प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था नियुक्ति और स्वीकार्यता पर ग्रहणाधिकार के संबंध में वंशावली नियमों के नियम 17 के तहत प्रत्यर्थी भत्तों को एक अस्थायी उपाय के अलावा एक ही समय में दो या दो से अधिक स्थायी पदों पर पर्यास रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता था। फिर नियुक्ति पर ग्रहणाधिकार के संबंध में सामान्य नियमों के नियम 20 (ए) के तहत सरकार एक स्थायी पद पर एक सरकारी कर्मचारी के ग्रहणाधिकार को निलंबित कर देगी, जो वह स्थायी रूप से रखता है यदि वह एक ठोस क्षमता में नियुक्त किया जाता है। फरवरी, 1958 के महीने में प्रत्यर्थी प्रतिनियुक्ति पर था और भूविज्ञान के सहायक व्याख्याता के रूप में पद पर ग्रहणाधिकार रखता था, जब उसे स्कूल ऑफ माइन्स के प्राचार्य केरूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, और इससे

पहले, यह नहीं कहा जा सकता था कि उसे पर्याप्त रूप से प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था। फरवरी, 1958 के महीने में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति केवल पदोन्नति द्वारा की जा सकती थी। पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में दो बाधाओं को मैसूर राज्य सिविल सेवा(सामान्य भर्ती) नियम, 1957 के नियम 4 (3) उपखंड (ए) और (बी) में पहले ही देखा जा चुका है। उपखंड (ए) के तहत यह पात्र व्यक्तियों में से वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर होना चाहिए। पदोन्नति के लिए। उपखंड (ख) के तहत यह पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होना चाहिए। यह सरकार का मामला नहीं है कि यह पदोन्नति का मामला था क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों में से वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता और उपयुक्तता पर विचार किया गया था।

मैसूर राज्य सिविल सेवा नियम, 1957 नियम 16 में नियुक्ति और योग्यता से संबंधित नियमों में छूट की बात की गई है और छूट के उदाहरणों में से एक यह है कि सरकार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से (ए) (आई) किसी पद पर रक्षा सेवा, अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा या किसी अन्य राज्य की सिविल सेवा के अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है और (बी) राज्य की किसी अन्य सेवा से

स्थानांतरण द्वारा समकक्ष श्रेणी के पद पर आसीन अधिकारी। मैसूर सिविल सेवा नियम 1957 में समतुल्य श्रेणी को परिभाषित किया गया है के नाम से आया था।10 फरवरी, 1958 को प्रभावी। मैसूर सिविल सेवा नियम, 1958 का नियम 8 (1) वर्ग और श्रेणी की बात करता है। नियुक्तियों को एक ही 'श्रेणी' में कहा जाता है जब वे एक ही श्रेणी में होती हैं। सरकार द्वारा एक ही वर्ग में होने के लिए। में नियुक्तियाँ एक ही वर्ग को कभी-कभी वेतन के अनुसार 'ग्रेड' में विभाजित किया जाता है। प्रिंसिपल स्कूल ऑफ माइंस का पद प्रथम श्रेणी का बताया जाता था। कहा गया था कि फरवरी, 1958 के महीने में कोई नहीं था कक्षाएँ। लेकिन प्रतिवादी उस श्रेणी से संबंधित नहीं था जो प्रधानाचार्य के समकक्ष ग्रेड कहा जा सकता है खानों का स्कूल। इसलिए यह उपरोक्त नियम 16 के अर्थ के भीतर। स्थानांतरण का मामला नहीं हो सकता है।

मैसूर तकनीकी शिक्षा नियम जो 5 मई, 1964 को अस्तित्व में आए दो वर्गों और प्रिंसी को संदर्भित करता है पाल, स्कूल ऑफ माइन्स पहली कक्षा में था और प्रमुख या प्राचार्य पॉलिटेक्निक प्रथम श्रेणी में थे। 1964 में सहायक का पद था। भूविज्ञानी तृतीय श्रेणी में थे और रैंक में समान नहीं थे। द रेस विचार ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्थायी रूप से इस पद पर नियुक्त किया गया था फरवरी, 1958 में स्कूल ऑफ माइंस के प्राचार्य और उसके बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत नियुक्त किया

गया था क्योंकि उनकी योग्यताएँ। हलफनामे के साक्ष्य से यह पता चलेगा कि 1957 में अपीलार्थी सरकारी पॉलीटेक के प्राचार्य थे एन. आई. सी. दावनगेरे में था और 200-20-300 रुपये की श्रेणी में था।

रत्यर्थी 1956 में सहायक भूविज्ञान के पद पर था जिसका वेतन 165 था व 125-10-175 के स्केल में था। 1964 में अपीलार्थी 1964 के नियमों के तहत प्राचार्य के रूप में द्वितीय श्रेणी में था। जबकि पॉलिटेक्निक में प्रत्यर्थी सहायक भूविज्ञानी के मूल पद पर था जो 1964 के नियमों के तहत तृतीय श्रेणी में थे। इसलिए जब प्रत्यर्थी की नियुक्ति का प्रयास किया गया था1958 से प्रतिवादी को नियमित किया जा रहा था लाभ की स्थिति में रखा गया। पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा प्रत्यर्थी की नियुक्ति स्वाभाविक रूप से अक्षम्य है। उत्तरदाता तृतीय श्रेणी में था वाइस। उन्हें प्रथम श्रेणी में नियुक्त किया जा रहा था। यदि यह एक मामला था समान श्रेणी और वरिष्ठता और योग्यता में पदोन्नति प्राप्त व्यक्ति थे विचार करने के लिए। अपीलार्थी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ था। उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य याचिकाकर्ता थे जो थे प्रत्यर्थी से वरिष्ठ। जब अपीलार्थी ने आवेदन किया था वर्ष 1962 में मैसूर उच्च न्यायालय में आवेदन खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह पूर्व परिपक्व पाया गया था सरकार संवर्ग और भर्ती नियम तैयार कर रही थी। उच्च न्यायालय ने इसे खुला छोड़ दिया और कहा कि

क्या और कब नियुक्ति की गई थी यह अपीलार्थी के लिए इस तरह के कदम उठाने के लिए खुला होगा जैसे कानून अनुमति देता है।

राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य को नियम बनाने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 162 और नियुक्ति करने की सरकार की शक्ति के पीछे आश्रय लिया गया था। सरकार की नियुक्ति करने की शक्ति से कोई इनकार नहीं कर सकता है। यदि यह प्रत्यक्ष नियुक्ति का मामला था या यदि यह प्रतियोगी परीक्षा द्वारा किसी उम्मीदवार की नियुक्ति का मामला था या यदि यह चयन द्वारा नियुक्ति का मामला था, तो नियमितीकरण के लिए अनुच्छेद 309 के तहत नियम का सहारा नहीं लिया जाएगा। आवश्यक है। मान लीजिए कि नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाए जा सकते हैं। एक आदमी की बात है लेकिन दो सीमाएँ हैं। अनुच्छेद 309 नियुक्ति के नियमों और सेवा की सामान्य शर्तों की बात करता है। यह कहते हुए नियुक्ति का नियमितीकरण कि किसी भी नियम के बावजूद नियुक्ति नियमितीकृत है, नियमों के मूल पर प्रहार करता है और यदि नियमितीकरण का प्रभाव नियमों के संचालन और प्रभावशीलता को रद्द करना है, तो नियम स्वयं इस आधार पर आलोचना के लिए खुला है कि यह वर्तमान नियमों का उल्लंघन है। इसलिए पदोन्नति और नियुक्ति के संबंध में सामग्री समय पर प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है

और अभिशंसन नियम को पदोन्नति और नियुक्ति के विचार के मामले में वरिष्ठता और योग्यता पर विचार करने की आवश्यकता वाले नियमों की पूर्ण अवहेलना में प्रति पुत्र एक की नियुक्ति के नियमितीकरण के रूप में काम करने की अनुमति चयन द्वारा या प्रतियोगी परीक्षा द्वारा। नहीं दी जा सकती है।

राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि नियम 3 मैसूर राज्य सिविल सेवा नियम, 1957 ने विधि की बात की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, या चयन द्वारा, या पदोन्नति द्वारा की जाएगी। प्रत्येक राज्य सिविल सेवा के लिए भर्ती और योग्यता की विधि भर्ती के नियमों में निर्धारित की जानी थी, लेकिन वर्ष 1964 तक कोई नियम नहीं थे। 1964 में नियम में कहा गया था कि स्कूल ऑफ माइंस के प्राचार्य प्रथम श्रेणी के होंगे और स्कूल ऑफ माइंस के प्राचार्य के लिए भर्ती की विधि होगी। अनुभागों के प्रमुखों के संवर्ग से पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा पद को भरना था। प्रत्यर्थी की ओर से यह कहा गया था कि वह 1964 में एकमात्र योग्य उम्मीदवार थे, और इसलिए, उनकी नियुक्ति वैध थी। यह तथ्यों के विपरीत है। यह वर्ष 1958 या किसी भी समय सीधी भर्ती का मामला नहीं है। राज्य ने फरवरी, 1958 के महीने से नियुक्ति को नियमित करने के लिए वर्ष 1967 में नियम बनाए। पुनः, यदि यह सीधी भर्ती का मामला होता तो सीधी भर्ती के लिए उचित साथी रियाल की अपेक्षा की जाती। पद के लिए

विज्ञापन होने चाहिए। उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। उनकी संबंधित योग्यताओं पर विचार किया जाना चाहिए।यह कहना कि अपीलार्थी एकमात्र पात्र उम्मीदवार था, इस तरह के पात्रता परीक्षणों के लिए आवेदन करने के लिए दूसरों के अधिकारों से इनकार करना है।

राज्य की ओर से वकील ने चम्पकलाल चिमनलाल शाह बनाम भारत संघ (1) (1964) एस.सी.आर 190 व रिपोर्ट के पृष्ठ 201 का सहारा लिया कि सरकार को किसी विशेष आकस्मिकता की जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्थायी सेवकों को नियुक्त करना होगा और ऐसा रोजगार वास्तव में वैध होगा। इस तरह की नियुक्ति में आम तौर पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता था। वर्तमान मामले में नियुक्ति उस श्रेणी में नहीं आती है। यह नियुक्ति पदोन्नति के मामले में नियमों का उल्लंघन थी। यह सीधी भर्ती का मामला नहीं था। यह अस्थायी नियुक्ति का मामला नहीं था। यह स्थानीय उम्मीदवार की नियुक्ति का मामला नहीं था। मैसूर राज्य बनाम के मामले में यह न्यायालय। पद्मनाभचार्य आदि (1) ने अनुच्छेद 309 के तहत इस आशय के एक नियम पर विचार किया कि उस मामले में उत्तरदाताओं को अमान्य रूप से सेवानिवृत्त होने के कारण सेवानिवृत्ति पर सेवा से वैध रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए था। अनुच्छेद 309 के तहत सरकार की अधिसूचना 25 मार्च, 1959 को जारी की गई थी, जिसमें प्रतिवादी और अन्य लोगों को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त

करने में की गई कार्रवाई को मान्य किया गया था। प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि वे मैसूर सिविल सेवा विनियमों के नियम 244 (ए) में नोट 4 द्वारा बनाए गए एक अपवाद को देखते हुए 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने और 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं होने के हकदार हैं। इस न्यायालय ने अनुच्छेद 309 के तहत पूर्वव्यापी प्रावधान करने की कानून की शक्ति के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की लेकिन सेवानिवृत्ति पर कुछ व्यक्तियों को सेवानिवृत्त करने की अधिसूचना को इस न्यायालय ने इन शब्दों में खारिज कर दियाः हमारी राय है कि इस अधिसूचना को राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाला नियम नहीं कहा जा सकता है। नियम केवल इतना ही कहता है कि कुछ व्यक्ति जो इस बिंदु पर हमारे निर्णय को देखते हुए अमान्य रूप से सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें सेवानिवृत्ति पर सेवा से वैध रूप से सेवानिवृत्त माना जाना चाहिए। यदि प्रभाव दिया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करेगा।

हमारी राय में ऐसा नियम अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाया गया नियम नहीं है। राज्य की ओर से तर्क कि अनुच्छेद के तहत एक नियम 309 किसी व्यक्ति की नियुक्ति को नियमित करने के लिए अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति के संदर्भ में पढ़ी जाने वाली भर्ती का एक रूप

अनुचित और अस्वीकार्य है। कार्यपालिका के पास नियुक्त करने की शक्ति होती है। उस शक्ति का स्रोत अनुच्छेद 162 में हो सकता है। वर्तमान मामले में जिस नियम ने किसी भी नियम को समझे बिना 15 फरवरी, 1958 से प्रतिवादी की नियुक्ति को नियमित किया, उसे अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। पहला, अनुच्छेद 162 नियमों की बात नहीं करता है जबकि अनुच्छेद 309 नियमों की बात करता है। इसलिए, वर्तमान मामला प्रकृति के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की राज्य की शक्ति को छूता है। दूसरा, जब सरकार ने अनुच्छेद 309 के तहत कार्यवाही की तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने अनुच्छेद 162 के तहत भी एक ही सांस में काम किया था। दोनों लेख अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। नियमितीकरण को नियुक्ति का एक रूप नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यर्थी की ओर से वकील ने कहा कि नियमितीकरण का अर्थ नियुक्ति पर नियमितीकरण की गुणवत्ता प्रदान करना होगा, जबकि राज्य की ओर से वकील ने तर्क दिया कि नियमितीकरण का अर्थ स्थायी नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 309 के तहत नियमों के नियमितीकरण का मामला है। दोनों ही तर्क गलत हैं। यदि नियुक्ति स्वयं नियमों का उल्लंघन करती है या यदि यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो अवैधता को नियमित नहीं किया जा सकता है। किसी ऐसे अधिनियम का अनुसमर्थन या नियमितीकरण संभव है जो प्राधिकरण की शक्ति और प्रांत के भीतर है, लेकिन प्रक्रिया या तरीके के साथ कुछ गैर-अनुपालन हुआ है जो नियुक्ति के

मूल तक नहीं जाता है। नियमितीकरण को भर्ती का एक तरीका नहीं कहा जा सकता है। इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करना नियमों की अवहेलना करते हुए नियुक्ति का एक नया प्रमुख पेश करना होगा या इसका प्रभाव नियमों को शून्य करने पर पड़ सकता है।

वर्तमान मामले में, यह कहा गया था कि प्रतिवादी मैसूर सिविल सेवा नियम, 1957 के नियम 8 (27ए) के अर्थ के भीतर प्रत्यर्थी एक स्थानीय उम्मीदवार था जो 1 मार्च, 1958 को लागू हुआ था। वहाँ एक स्थानीय उम्मीदवार को सेवा में एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका अर्थ है कि एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिसे उस सेवा में भर्ती के नियमों के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया जाता है। जब स्थानीय उम्मीदवार की नियुक्ति नियमित की जाएगी तो यह नियमों के अनुरूप होगी। प्रत्यर्थियों की ओर से एक तर्क दिया गया था कि मैसूर राज्य सिविल सेवा नियम, 1957 में नियम 3,4 और 14, जो 10 फरवरी, 1958 को लागू हुए थे, तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि नियम 3 में उल्लिखित भर्ती के नियम अस्तित्व में नहीं लाए जाते। उस विवाद के समर्थन में बी. एन. नागराजन और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था। वी. मैसूर राज्य और अन्य। (1) उस मामले में अक्टूबर, 1961 में नियुक्त किए गए 88 सहायक इंजीनियरों की नियुक्तियों की वैधता पर सवाल उठाया गया

था। यह तर्क दिया गया था कि वहाँ नियुक्तियाँ उन नियमों के अनुरूप थीं जो दिसंबर 1960 में अस्तित्व में आए थे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दिसंबर 1960 के नियमों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नियुक्तियों को शामिल करना नहीं था जिन्हें नियम बनाने से पहले नवंबर, 1960 के महीने में लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए देखा और अनुशंसित किया गया था। उस मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि नियमों की अनुपस्थिति संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत नियुक्तियां करने की कार्यकारी सरकार की शक्ति को नहीं छीन लेगी। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी की ओर से तर्क यह है कि नियमितीकरण स्वयं नियुक्ति का एक तरीका था संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत नियुक्ती अनुचित है। वर्तमान मामले में नियम 1964 में अस्तित्व में आए। यह नियम वर्ष 1967 में बनाया गया था। नियमितीकरण 1958 से किया गया था। इसलिए, नियम लागू हो गए। वर्तमान मामले में नियमितीकरण भी खराब था क्योंकि भर्ती के विशिष्ट तरीकों के बिना भी नियुक्तियां केवल चयन या पदोन्नति या समकक्ष श्रेणी से स्थानांतरण द्वारा की जा सकती थीं। प्रत्येक के लिए भर्ती और योग्यता की विधि राज्य सिविल सेवा को उस ओर से विशेष रूप से बनाई गई ऐसी सेवा की भर्ती के नियमों में निर्धारित किया जाना था।

यह इस प्रकार है कि वर्तमान मामले में नियमों के सामने जो प्रतियोगी परीक्षा या चयन या पदोन्नति द्वारा होने वाली भर्ती की बात की जाए तो ये नियुक्ति के तीन तरीके हैं। भले ही भर्ती और योग्यता की विधि निर्धारित नहीं की गई हो, लेकिन तीन तरीके विशिष्ट हैं। राज्य की ओर से वकील ने कहा कि प्रतिवादी को पदोन्नत नहीं किया गया था, बल्कि यह चयन का मामला था क्योंकि प्रतिवादी उस पद के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति था। आवेदकों को आमंत्रित करके और फिर उनका चयन करके चयन करना होगा। राज्य ने सरकार के उप सचिव के शपथ पत्र पर भरोसा किया कि प्रतिवादी एक उच्च योग्य व्यक्ति था और स्कूल के प्राचार्य के पद को भरने के लिए कोई अन्य योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। इसलिए यह कहा गया कि सरकार ने पाया कि प्रतिवादी एकमात्र उम्मीदवार था जिसे उपयुक्त पाया गया और इसलिए उसे चुना गया। हलफनामे में यह नहीं कहा गया है कि उनका चयन इस आधार पर किया गया था कि अन्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था और अन्य उम्मीदवारों के दावे पर विचार किया गया था। नागराजन में मामला (ऊपर) इस न्यायालय ने कहा कि यदि नियम बनाए जाते हैं तो कार्यपालिका को नियमों का पालन करना होगा और कार्यपालिका संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत नियम की अनदेखी नहीं कर सकती है। इसलिए, वर्तमान मामले में कार्यपालिका ने प्रतिवादी थिमैया की नियुक्ति को नियमित करने में अवैध रूप से काम किया।

वर्तमान मामले में, प्रतिवादी को अस्थायी रूप से अगले आदेश तक 25 सितंबर 1958 तक कार्यवाहक प्राचार्य के रूप मे नियुक्त किया गया था। 25 सितंबर, 1958 के पत्र के फुट नोट 1 में आदेश को सूचित करते हुए कहा गया था कि तकनीकी शिक्षा निदेशक से मैसूर लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन द्वारा पद भरने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। पुनः 3 अप्रैल, 1958 को जब प्रत्यर्थी को 15 फरवरी, 1958 से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था, उस पत्र में इसी तरह का एक फुट नोट दिया गया था, जिसमें आदेश को सूचित किया गया था कि निदेशक, तकनीकी शिक्षा मैसूर लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन द्वारा पद को भरने के लिए प्रस्ताव भेजेगी। ये पत्र उत्तरदाता के स्थानीय उम्मीदवार होने के सुझाव को पूरी तरह से खारिज करते हैं। इन पत्रों में आंतरिक प्रमाण हैं कि नियुक्ति मैसूर लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन द्वारा की जानी थी ताकि आवश्यक योग्यता रखने वाले व्यक्ति विचार के लिए इसके लिए आवेदन कर सकें।

वर्तमान में पदोन्नति का मामला पूरी तरह से अस्वीकार्य है मैसूर के तहत सेवाओं के तीन वर्ग थे। मामला सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1957। नियम 5 ने सेवाओं को चार वर्गों में वर्गीकृत किया। प्रथम श्रेणी में राजपत्रित पद होते हैं जिनका न्यूनतम वेतन रु.

350 अपराह्न कम से कम नहीं होता है। द्वितीय श्रेणी में प्रथम श्रेणी में निर्दिष्ट पदों के अलावा राजपत्रित पद शामिल होने थे। तृतीय श्रेणी में गैर-राजपत्रित पद शामिल होने थे। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, दुकानों के सहायक निरीक्षक और राजपत्रित पद। प्रतिष्ठान, कम्पाउंडर, ग्राम लेखाकार, बिल कलेक्टर और अन्य पद जिनका वेतन या अधिकतम वेतन यदि समय पैमाने पर 90. रुपये से अधिक है। चतुर्थ श्रेणी में अनुसूची में वर्गीकृत गैर-राजपत्रित पद शामिल होने थे। तीन अनुसूचियाँ थीं। पदोन्नति नियम 4 के तहत होनी चाहिए मैसूर सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1957 योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर या वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर। 1957 के सामान्य भर्ती नियमों के नियम 16 में नियुक्ति और योग्यता से संबंधित नियमों में छूट की बात की गई है। सरकार के पास किसी भी नियम में शिथिलता देने की शक्ति है और वह अन्य बातों के साथ-साथ लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए व्यक्तियों को स्थानांतरण द्वारा समकक्ष श्रेणी के पद पर नियुक्त कर सकती है। वर्तमान मामले में, यह नियमों के तहत एक पद से समकक्ष श्रेणी के पद पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्त नहीं था। मैसूर सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1957 के नियम 16 के तहत निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के उद्देश्यों के लिए निर्धारित योग्यता की एक निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट न तो उपलब्ध थी और न ही वर्तमान मामले में वास्तव में दी गई थी। इसलिए यहां यह नहीं कहा जा सकता कि

नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की गई थी क्योंकि प्रत्यर्थी के पास समकक्ष श्रेणी का पद नहीं था।

राज्य की ओर से कहा गया है कि प्रतिवादी की नियुक्ति निम्नलिखित आधारों पर उचित थी। वर्ष में 1958 प्रतिवादी को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। सरकार के पास अस्थायी नियुक्ति करने की शक्ति है। उत्तरदाता, नियमों के अनुसार, एक स्थानीय उम्मीदवार था। एक स्थानीय उम्मीदवार को नियमों की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है। वर्ष 1964 तक संवर्ग या नियुक्ति के संबंध में कोई नियम निर्धारित नहीं थे। 1964 में जब संवर्ग और भर्ती नियम बनाए गए तो प्रतिवादी एकमात्र योग्य व्यक्ति था। नियमितीकरण के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं थे। सरकार के पास अनुच्छेद 162 के तहत नियुक्तियों को नियमित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 309 के तहत एक व्यक्ति के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। इसलिए, प्रतिवादी को वैध रूप से नियुक्त किया गया था।

राज्य और प्रत्यर्थी की ओर से दलीलें हैं- अस्वीकार्य है स्थानीय उम्मीदवार का अर्थ है एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिसे नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया जाता है। प्रत्यर्थी भौतिक समय में एक स्थायी सरकारी कर्मचारी था। वह पहले से ही सेवा में था। वर्ष 1958 में लागू नियमों के तहत दो सरकारी कर्मचारियों को एक ही समय में एक ही

स्थायी पद पर पर्याप्त रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एक सरकारी सेवक को एक ही समय में दो या दो से अधिक स्थायी पदों के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इससे पहले, यदि प्रत्यर्थी को प्रधानाचार्य के पद के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो यह एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि एक अस्थायी उपाय के रूप में दूसरे पद पर नियुक्त एक सरकारी कर्मचारी के रूप में होगा। यह 1958 में हुआ था। जब अपीलार्थी 1962 में मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी की नियुक्ति का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि नियम बनाए गए थे और उन्हें लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया था और प्राचार्य के पद को अनुभागों के प्रमुखों के संवर्ग से पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था। प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए योग्यता भी दी गई थी। यह मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी कहा गया था कि पद पर प्रत्यर्थी को नियमित करने का मामला विचाराधीन था और लोक सेवा आयोग विनियमन के लिए सहमत हो गया था और इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जाना था और निर्णय दिया जाना था। उस संदर्भ में, मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होगा रिट याचिका में उठाए गए प्रश्नों पर निर्णय देने में सेवा की और यदि और जब अपीलार्थी इस तरह के नियमितीकरण से व्यथित महसूस करता है तो उसके लिए ऐसे कदम उठाने के लिए खुला रहेगा।

यह इस पृष्ठभूमि में है कि जब नियमित किया गया था वर्ष 1967 में जब अपीलकर्ता नियमितीकरण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष आया। 1962 में जब मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष यह कहा गया कि लोक सेवा आयोग नियमित करने के लिए सहमत हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं था कि लोक सेवा आयोग उत्तरदाता की नियुक्ति को नियमित करने के लिए सहमत हो गया था। लोक सेवा आयोग ने जो कुछ भी किया वह यह था कि प्राचार्य के पद पर नियुक्ति को विनियमित किया जाए। नियुक्ति का राज्य द्वारा विनियमन 1958 से प्रभावी है। यह नियमितीकरण निम्नलिखित कारणों से खराब है। सबसे पहले, रेगु लाराइजेशन अपने आप में नियुक्ति का एक तरीका नहीं है। दूसरा, नियुक्तियों के तरीके राज्य की किसी भी अन्य सेवा से स्थानांतरण द्वारा समकक्ष श्रेणी के पद पर आसीन अधिकारी की सीधी भर्ती या चयन या प्रो मोशन या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए नियुक्ति हैं। सरकार ने इसे पदोन्नति का मामला नहीं माना। यदि यह पदोन्नति का मामला होता तो यह वैध नहीं होता क्योंकि यह वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि किसी एस. सी. आर. की पदोन्नति होती जो तृतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में था। यहां तक कि नियम 16 के तहत समकक्ष श्रेणी रखने वाले व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के संबंध में भी नियुक्ति नियमों का उल्लंघन होगी क्योंकि यह समकक्ष श्रेणी से स्थानांतरण नहीं होगी। पुनः, योग्यता और वरिष्ठता की अवहेलना नहीं की जा सकती थी

क्योंकि प्रतिवादी स्कूल ऑफ माइन्स के प्राचार्य के समान वर्ग में नहीं था। प्राधानाचार्य का वेतन 500 से 800 रूपये है जबकि प्रत्यर्थी को 125-165 के ग्रेड पे में 165 रूपये 75 रूपये भत्ते के साथ मिल रही है।

राज्य का यह तर्क कि कोई नियम नहीं थे और सरकार प्रत्यर्थी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र थी, गलत है। 1957 के नियम थे जो प्रतियोगी परीक्षा या चयन या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की बात करते थे। भले ही ऐसी सेवाओं के लिए भर्ती के विशेष नियम नहीं बनाए गए थे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा या चयन या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के बारे में नियम थे। अनुच्छेद 162 नियमितीकरण की शक्ति प्रदान नहीं करता है। अनुच्छेद 162 सरकार को भर्ती या सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। एक व्यक्ति या एक पद के लिए नियम हो सकते हैं लेकिन नियम भर्ती और सेवा की शर्तों के लिए होते हैं। नियम किसी अवैध नियुक्ति को मान्य करने या नियुक्तियाँ या पदोन्नति या स्थानांतरण करने के उद्देश्य से नहीं हैं। अनुच्छेद के तहत नियम 309 सेवा और भर्ती की शर्तों को निर्धारित करने के उद्देश्य से हैं। इसलिए, वर्तमान मामले में अनुच्छेद 309 के तहत नियमों के माध्यम से यह कहते हुए नियमित करना कि नियमों में कुछ भी नहीं होने के कारण प्रतिवादी की नियुक्ति को नियमित किया जा रहा था, अपने आप में नियुक्ति और संवर्ग और उचित चयन के नियमों का उल्लंघन था। यदि प्रत्यर्थी को सीधी भर्ती

द्वारा नियुक्त किया जाना था, तो विज्ञापन होने चाहिए थे। तब अन्य लोगों के पास आवेदन करने का अवसर होगा। यह उचित चयन होगा।

अपीलार्थी की ओर से वकील ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियमों द्वारा विवादित विनियमन द्वारा उल्लंघन किया गया था क्योंकि अपीलार्थी और उच्च न्यायालय में अन्य याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के संबंध में समान अवसर और व्यवहार नहीं दिया गया था और भेदभाव भी था। प्रत्यर्थी की ओर से यह कहा गया था कि अपीलार्थी के पास 1964 के नियमों द्वारा निर्धारित योग्यताएं नहीं थीं। अपीलार्थी ने उस उल्लेख पर आपत्ति जताई। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सेवा के एक ही वर्ग के थे।

मैसूर शिक्षा विभाग सेवा (तकनीकी शिक्षा विभाग) (भर्ती) नियम, 1964 में यह प्रावधान किया गया था कि स्कूल ऑफ माइंस के प्राचार्य के पद के लिए भर्ती की विधि अनुभागों के प्रमुखों के संवर्ग से पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा की जाती थी। डायरेक्ट नंजुंदप्पा वी. थिमिया (रे, जे.) के लिए न्यूनतम योग्यता भर्ती की आयु सीमा 40 वर्ष और एम. एससी. थी। खनन में पाँच साल के अनुभव के साथ अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में डिग्री। प्रत्यर्थी की नियुक्ति किसी भी स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा नहीं की गई थी। प्रत्यर्थी की नियुक्ति की मांग की गई थी राज्य और प्रत्यर्थी द्वारा पहले पदोन्नति के आधार पर और दूसरा योग्यता रखने वाले प्रत्यर्थी के आधार

पर न्यायसंगत ठहराया गया। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी वर्ष 1949 से पॉलिटेक्निक का प्राचार्य था। अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी विचार से वरिष्ठ था। अपीलार्थी के तर्क के अनुसार, पॉलिटेक्निक के प्राचार्य और खंडों के प्रमुख सामान्य संवर्ग के थे। इसलिए, अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी 1964 के नियमों के तहत पदोन्नति के लिए पात्र था। पदोन्नति के मामले पर केवल प्रत्यर्थी पर विचार करके विचार नहीं किया जा सकता था। पुनः, महाभियोगित नियम यह नहीं दर्शाते हैं कि यह पदोन्नति का मामला था, बल्कि यह कि यह वर्ष 1958 से किसी नियुक्ति को नियमित करने का मामला था।

यदि यह चयन का मामला था तो अपीलार्थी और उत्तरदाता डेंट और अन्य पर विचार किया जाना चाहिए था। 1964 के नियमों में पहली बार योग्यता निर्धारित की गई थी। 1964 के नियम पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के पक्ष में थे। अपीलार्थी ने पात्रता का आरोप लगाया। अपीलार्थी एक का प्रमुख था । प्रत्यर्थी भी एक अनुभाग का प्रमुख था। वे दोनों एक ही कैडर के थे। इसलिए, विवादित नियम अपीलार्थी को न केवल उसकी पात्रता के संबंध में बल्कि उसकी वरिष्ठता के संबंध में भी प्रभावित करता है।

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि नियुक्ति उत्तरदाताओं में से एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में बचाव योग्य था और

वहाँ नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करती थी।

उपरोक्त कारणों से उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकृत की जाती है। अधिसूचना संख्या ED.91DGO58 के जरिये प्रकाशित नियमों को अमान्य घोषित किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

वीपीएस. अपील स्वीकृत की गई।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)